(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.3(13)/Fin.(Rev-I)/2012-13 2 SVI 180

Dated the 28 2 2013

NOTIFICATION

Whereas the Lt. Governor of the National Capital Terrifory of Delhi is of the opinion that it is necessary in the interest of general public so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 16 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as "the Act"), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, subject to the compliance of the conditions specified hereunder against the class(es) of dealers/ contractors specified in column (2) of the Table below, and other general and particular conditions as are specified in this notification, and in supersession of the Notifications No.F.3(78)Fin.(T&E)2005-2006/1508-kha dated 17-3-2006 hereby, provides for the Composition Scheme for every registered dealer engaged <u>exclusively</u> in carrying out works contracts for cash or for deferred payment or for valuable consideration in Delhi as under, namely:-

"Table"

Category	Nature of Works Contracts	Composition [As percentage of relation to works of	entire turnover in
		Scheme A	Scheme B
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Every registered dealer engaged in execution of works contracts of the following categories and incidental or ancillary activities in connection with or thereto: (A) Civil Contracts, such as, (i) Civil construction, improvement, modification, repair and maintenance, electrification, sanitary fittings, flooring, plastering, finishing, white washing, painting, polishing, interior decoration, etc. of any immovable property, including a building or a complex - residential or commercial. (ii) Water works and Sewerage works, including treatment plants, whether meant for individual houses/buildings/ complexes or for the general public. (iii) Fabrication & fixing of shutters, doors, gates, windows, grills, furniture, fixtures, fitting outs and other similar contracts.	3	6

(iv) Procurement, erection, fabrication,]
installation commissioning of any plant,	
machinery, equipment, transformers, lifts,	
elevators, escalators, weighing machines,	
air conditioners, air coolers, fire-fighting	
systems, audio-visual systems, security	
systems, computer systems, EPABX/	
telecommunication system and other	
similar contracts.	
(v) Construction and maintenance of Civil	
works, such as,	
Green houses and other similar	
structures.	
Swimming pools.	
Bridges, flyovers, dams, barriers,	
diversions, or other similar structures.	
Canal, spillways or other similar	
activities.	
Roads, causeways, subways, or other similar contracts.	
Rail, railway overbridges or other similar]
activities.	
(vi) Any other contract for civil construction	
and maintenance as may be notified by the	
Commissioner.	
(B) Repair & maintenance of any moveable	
property, including vehicles, annual	
maintenance contracts (AMCs) and other	į
similar contracts.	I
	İ
(C) All other types of works contracts,	
including those involving moveable goods,	
not specified elsewhere in this notification.	
2 Every registered dealer engaged in 1	3
construction, of a complex, building, civil	
structure or a part thereof, including a	
residential unit or a complex or building, for	
sale whether wholly or partly, to a buyer	
before construction is complete, where the	
value of land is included in the total	
consideration.	
Note: Contracts where the entire consideration	
is received after issuance of completion	
certificate by the competent authority are	
excluded here.	

3	Every registered dealer engaged in	2	3
	(i) Printing and/or book-binding.		
	(ii) Textile processing such as dying,		
	fabrication, tailoring, embroidery and other similar activities.		
	(iii) Electro plating, electro galvanizing, anodizing, powder coating and other similar activities.		
	(iv) Re-treading of old tyres		

The dealers paying composition tax under the Composition Scheme notified vide Notification No. F.3(78)/Fin.(T&E)/2005-06/1508 kha dated 17th March 2006, shall have the option to shift over to this Scheme, subject to the terms and conditions of this Scheme,:

Provided that the composition dealers under this notification shall not be eligible for the general composition scheme provided by Section 16(1) to 16(10) of the Act.

Particular Conditions:

Scheme A:

A registered dealer opting to pay composition tax under this Scheme shall:

- (i) not purchase or procure goods from any place outside Delhi at any time during the period for which he opts to avail this Scheme; and
- (ii) not sell or supply goods to any place outside Delhi at any time during the period for which he opts to avail this Scheme.

However, he may procure his own Plant & Machinery and Equipments from outside Delhi, meant <u>exclusively for use in execution</u> of the works contract by him.

Scheme B:

A registered dealer opting to pay composition tax under this Scheme shall be entitled to make purchases of goods required for the execution of the contract under this Scheme in the course of inter-State trade or commerce on the strength of his certificate of registration against declaration in Form-C or by way of inward transfer of stocks from other States against Form-F or by way of imports from other countries solely for the purposes of utilizing the same in the execution of works contract in Delhi only,:

Provided the dealer shall use the material/ goods imported or procured from outside Delhi strictly for use in execution of the works contract transactions.

General Conditions:

- (1) The composition dealer opting for composition under this notification, shall:
 - (i) not purchase or procure goods, other than those specified in the First Schedule appended to the Act, within Delhi, from a person who is not registered under the

- Act, except to the extent of 2% of his total purchase turnover during the year or ₹ 25 lakhs, whichever is lower;
- (ii) not be eligible to claim tax credit under section 9 and/or section 15 of the Act;
- (iii) not compute his net tax under section 11 of the Act;
- (iv) not collect any amount by way of tax under the Act;
- (v) not be entitled to issue 'Tax Invoices';
- (vi) continue to retain the originals of all tax invoices and all the retail invoices for all his purchases and copies of all retail invoices issued by him as required under section 48 of the Act;
- (vii) maintain separate records of all the purchases made within Delhi, or in the course of inter-State trade or commerce and by way of transfer of stock or from outside India;
- (viii) issue only Retail Invoices, as per provisions of the Act and the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter called 'the Rules');
- (ix) be eligible to claim set off of TDS only if on the date of filing of return, he is in possession of original TDS Certificate issued to him by the person making the deductions; and
- (x) not entitled for refund before his assessment is made under section 32 of the Act.
- (2) All the provisions of the Act and the Rules, in so far as the same are not contrary to and inconsistent with this notification shall apply mutatis mutandis.
- (3) The term "composition dealer" means a contractor, or as the case may be a subcontractor, who has opted for the composition scheme under this notification.
- (4) The term "sub-contractor" means any person who has been awarded a works contract by the main contractor, or the sub-contractor, as the case may be.
- (5) A dealer who opts to pay composition tax under the notification and executes different types of works contracts which are liable to tax at different rates under this notification, shall pay tax according to the rate applicable to each of such contracts.
- (6) The term "Turnover" for the purposes of this composition scheme means:
 - (i) In relation to the category at serial No. (1) and (3), in Table total consideration, received or receivable by the dealer under the contract for transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of the contract together with the charges for labour, services and other like charges.
 - (ii) In relation to the category at serial No. 2, in Table the total consideration received or receivable by the dealer under the contract for transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of the contract, including the value of land, charges for supply of labour and services and other like charges.
- (7) The tax period for the composition dealer shall be a quarter, unless otherwise prescribed by the Commissioner for a dealer or class of dealers. However, the tax due shall be paid by the composition dealer on monthly basis, within 21 days of the end of the month.

- (8) In case a dealer has opted for this scheme but has failed to comply with the conditions specified herein or who, at any later stage, is found not eligible for having opted for this Scheme, all the provisions of the Act and Rules including the liability to pay tax under section 3, if any, shall apply mutatis mutandis as if the dealer had never opted for the composition scheme, from the financial year in which default had been committed and the amount deposited by such dealer as the composition tax, if any, shall stand forfeited.
- (9) The composition dealer who opts to pay composition tax under this scheme, shall make an application to the contractee/ awarder, not being an individual or a Hindu Undivided Family, authorizing it to deduct tax at source at such rate, as may be applicable to the contracts for which composition is opted by the dealer. The contractee shall deduct the TDS accordingly. The contractor shall not be able to claim benefit of the TDS in his return unless the contractee/ awarder has deposited the amount in the appropriate Government Treasury and the copy of the TDS Certificate obtained in the prescribed form and in the prescribed manner, along with challan in proof of such deposit is enclosed with the return.
- (10) Where any composition dealer, who has opted for composition scheme under this notification, sells, transfers or disposes of any capital assets, including plant, machinery and equipments, scrap, surplus, waste or discarded material, he shall not make such sale outside Delhi against Central Statutory Forms and shall pay tax on such sale, transfer or disposal at the rates specified in Section 4 of the Act, as if he had not opted for this Scheme.
- (11) No tax shall be payable under this Notification by a composition dealer on the amount representing the value of the goods supplied by the contractee to the contractor in the execution of works contract in which the ownership of such goods remains with the contractee under the terms of contract and the amount representing the value of the goods supplied by the contractee to the contractor does not form part of the contract and is not deductible from the amount payable to the contractor by the contractee for the execution of the works contract. Further, no TDS shall be deducted by the contractee on the value of goods supplied as such by it to the contractor.

Modalities for availing the Scheme:

- (1) The dealer applying for a fresh registration can opt for this scheme by filing an application in Form **WC 01** appended to this notification along with his registration application in Form **DVAT 04**.
- (2) A works contract dealer who is paying tax under section 3 of the Act, can opt for this scheme by filing an application in Form **WC 01** appended to this notification within thirty days from the first day of the financial year with effect from which composition is opted,:

Provided that a dealer who is paying tax under section 3 of the Act on the date of this notification, may opt for this scheme by filing an application in Form WC 01 appended to this notification within a period of thirty days from the date of this notification:

Provided further that the dealer who is paying composition tax under the erstwhile Notification No. F.3(78)/Fin.(T&E)/2005-06/1508 kha dated 17th March 2006 may opt for the composition scheme under this notification by filing an application in Form **WC 01** appended to this notification within a period of thirty days from the date of coming into force of this notification.

- (3) A dealer paying tax under section 3 of the Act and opting to pay tax under this Scheme, shall be required to pay tax, at the rates specified in section 4 of the Act, on the entire opening stock of goods held by him on the first day of the period with effect from which the dealer opts to pay the tax under this Scheme. The dealer shall furnish, along with his application for availing for the composition scheme, the details of such stock and the payment of tax thereon in Form SS 01 appended to this notification along with the copy of challan in proof of payment of tax in DVAT 20.
- (4) Once a dealer has opted to pay tax under this scheme, he shall, except under the circumstances specified at Sl. No. (6) below, not be eligible to withdraw his option before the end of the financial year.
- (5) A composition dealer who, having opted to pay composition tax under this scheme for a particular year, does not intend to opt for payment of composition tax under this scheme for the following year, shall, subject to the conditions contained in section 20 of the Act, in so far as they are applicable, and further subject to furnishing of intimation regarding withdrawal from this scheme in Form WC 02 within thirty days from the end of the financial year, be eligible to claim credit of tax paid under the Act on the opening stock held by him on the first day of the year from which he opts out of the Scheme.
 - (6) A composition dealer who has opted to pay tax under this scheme and has defaulted in furnishing the returns for two consecutive tax periods, by the prescribed due date for the latter tax period, shall, from the beginning of the tax period in respect of which the default was first committed:
 - (i) cease to be liable to pay tax under this scheme
 - (ii) be liable to pay tax under section 3 of the Act.

Such a dealer shall also, subject to the conditions contained in section 20 of the Act in so far as they are applicable and further subject to furnishing the intimation in Form **WC 02** within seven days after the end of due date prescribed for filing of return for the latter tax period in respect of which the default has been committed, be eligible to claim credit of the tax paid under the Act on the opening stock held by him in Delhi on the first day of the first tax period in respect of which the default was committed.

(7) Where the composition dealer has made any payment to a registered sub-contractor, who also opts for composition under this notification, for the execution of works contract, whether wholly or partly, the composition dealer shall issue a certificate to such sub-contractor, in Form CC 01 appended to this notification. Such sub-contractor shall be eligible to deduct from his turnover liable to be taxed under this scheme, the amount mentioned in such certificate by enclosing it with his return. Such amount shall not constitute part of the turnover in Form DVAT 17 of such sub-contractor. The contractor shall not deduct TDS from payments made to such sub-contractors in respect of the turnover covered by the certificate.

This notification shall come into force with effect from 1st April 2013.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

No.3(13)/Fin.(Rev-I)/2012-13 CSVI 180

Dated: 28 2 2013

Copy forwarded for information and necessary action to:

- (1) The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi with one spare copy for publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
- (2) The Pr. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- (3) The Pr. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi.
- (4) Pr. Secretary (Finance) Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
- (5) Commissioner, Value Added Tax, Department of Trade And Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- (6) The Secretary to the Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
- (7) The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- (8) The Addl. Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi.
- (9) OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi.
- (10) The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellant Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- (11) VAT Officer (Policy), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, New Delhi.
- (12) Department of Trade & Taxes's Website
- (13) Guard File.
- (14) Website.

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

[(See notification under section 16(12)]

PART-A

Application Form for opting Composition by an eligible works contractor in respect of scheme as notified by Government under sub-section (12) of section 16

•	-,	,						1 "	-, 0,	360		,,,							
1. TIN :								N	/ard l	No.									
[·										
2. Full Name of Applic	ant Dealer		-	-		_	_							1	\perp	4			_
		<u> </u>			<u> </u>														
3. Full Address of Dea	ler			L								T		Т		Т			
														T		1			
				<u> </u>								_]							
4. Date with effect from	which com				1									_					
4. Date with effect from	i wincii com	position scrie	me is	soug	Int		!							J					
5. Applicable rate of composition tax**		% of the turn			of the	turn	1]		of the	turn) (6% c	of th	e tu	rn ov	er
** please tick in the app	propriate box	ver x or boxes		ove	<u>r</u>				over	· - · · · ·			L						
														_					
6. Turnover in the pred	ceding year		(Rs.)				\bot				\bot								
7. Estimated Turnover	in the curren	24 1/005	(D= \											,					
Louinator Tuttovet	uie cuiiei	n year	(Rs.)						Ll					J					
0 Tou Dougle																			
8. Tax Payable on Ope first day with effect from	ening Stock n which sch	held on the	L			Desc	riptio	n*					Ta	ax F	ayal	ole	(Rs.)	
opted.		one is being	(i) Trad	ing S	tock				******	T				П	Т	1	Т	П
			0	ii) Rav	v mat	erial					1	T				\dagger	\dashv	+	Н
			1	ii) Pac	kagin	ng Ma	terial				╁	\vdash	H	-	\vdash	+	+	+	Н
			(iii) Packaging Material								╫	╀	_		\vdash	4	+	+	Н
			(iv) Finished Goods								+			Н		4	+	4	Ц
(* Please complete Par	f- B)									Tota	<u>!</u>	L						$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$	
•	•																		
9. Details of Composition	on Tax paid	calculated				Descri	iption	1			T			_					\neg
as per (8) above			(i)	Amou	nt of	comp	ositi	on	tax	paid'	+				П	Т	Т	Τ	\dashv
			(Rs	.) Date	of Do					<u> </u>	_	Ш	_		_	\perp	_	_	_
			(181)	Date	oi De	posit					L	Ц				4			╝
			L								1	d		m	m	\perp	у	ууу	
(* Diago attach arigina	l ahallan (Challa	an No	. if an	ıy												
(* Please attach origina	i challan / pr	oot ot depos	it)																
							Na	me	and	Signa	ature	of a	ppl	icar	nt/a	uth	orize	d sig	nato
10. Verification																			
I/We				t	nereb	y sole	emnly	aff	îm a	ınd de	clare	tha	t th	e in	form	atio	on ai	ven	
hereinabove is true and	correct to the	ne best of my	our l	cnowle	edge a	and b	elief	and	noti	ning h	as be	en e	con	cea	iled t	her	efro	m.	
Signature of Authorized	Signatory																		
Full Name (first name,	middle eun	namal	-																_
	uu.e, sull																		
Designation/Status																			_
Place		111			 	Т	1	_			_					_	$\overline{}$		
	<u> </u>						L_		_L	Т	Ц_		<u> </u>			L		_l_	
Date																			
Day	Month	Yea		\exists															
		De	partn	nent	of Tr	ade	and	Ta	xes										

Government of NCT of Delhi

Form WC 01

[See notification under section 16(12)]

(PART-B)

•	Details of the Stock held (on u	ne	Hrs						•		. 1	_	'	(date)] of the period for which the
(2) D	otoile of Tue dime Stanle				•	con	ıpo	SIT	ion	IS S	ou	gn	t		
M D	Rate wise details of the	D.		1	37	. 1			Г.	1.6	_			_	T D 11
		P	urc	hase		aiue	'		Fair						Tax Payable
	Trading Stock Goods taxable at 1%	-	_	(Rs	'	1 1	4	-	Valu	ue≁	(K	S.)	_	╀	(Rs.)
A	Goods taxable at 1%	-		+		┝╼		+	+	\vdash		ļ	_	L	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
B			-	-	<u> </u>		4	+	+-	\sqcup	_		_	L	
C	Goods taxable at 12.5%	$\vdash \vdash$	+	+	<u> </u>	H	┌	<u> </u>	rry t	o fie	14	٦	<u> </u>	L	
D	Goods taxable at 20%		4	_	<u> </u>	\vdash	4		(i) of				_		
E	Total	oxdot	┸		L.		_					_	•		
(* As	at opening day of the period	d for	w	hich	the	e co	mpo	osit	tion	is b	eir	ıg (opt	ed)
(ii) D	etails of Raw Material														
(1) 1	Rate wise details of the	Б.		1	17	.1	_		F-1		- 1			_	7 P 11
	Raw Material	l Pi	urc	hase		aiue	1		Fair						Tax Payable
		\vdash	_	(Rs	<u>'</u> -		+	т.	Valu	ue*	(K	S.)		╀	(Rs.)
A	Goods taxable at 1%	┡	+	-	-	\vdash	4	+		\sqcup			<u> </u>	L	
B	Goods taxable at 5%	\sqcup	+		┡	Ш		_	\perp				_	L	
	Goods taxable at 12.5%	\vdash	-		 -	Н		Can	ry to	field	d	┰	_	L	
D	Goods taxable at 20%	\sqcup	-		<u> </u>) of			L	ļ.,.		
E	Total											<u>_</u> _			
(* As	at opening day of the period	d for	w)	hich	the	e co	mpo	osit	ion	is b	eir	ıg (opt	ed	()
(iii) T	Details of Books sing Materia	.1													
(11)	Details of Packaging Materia Rate wise details of the			1	17	- 1	т		<u> </u>						
		P	urc	hase	_	aiue	`		Fair						Tax Payable
-	Packaging Material	├ ─┬	-	(Rs	<u>) </u>		+	_	Valu	ie*	(K	s.)	r	_	(Rs.)
A	Goods taxable at 1%		+	-		Н	4	4	\bot	\sqcup	_		<u> </u>	L	
B	Goods taxable at 5%	.	_	4-	<u> </u>	Ш	4	4	_	Ш	_			L	
C	Goods taxable at 12.5%	┖	4	_ _	lacksquare				٠	ш		٦	<u> </u>	L	
D	Goods taxable at 20%	\sqcup	4	┷.		Ш			ry to				L	L	
E	Total	Ш							i) of	•		H	-		
(* As	at opening day of the period	d for	wl	hich	the	co	mpo	osit	ion	is b	eir	1g (opt	eď)
							-					Ŭ	•	,	
(14)	Details of Finished Goods				•	-	-		= .						
	Rate wise details of the	P	urc	hase		alue			Fair						Tax Payable
\vdash	Finished Goods	<u> </u>	_	(Rs	<u>)</u> ,		4	 '	Valu	ie*	(R	s.)		L	(Rs.)
A	Goods taxable at 1%	-	4		Ш	Ц	_ _	1	_	Ш	_				
В	Goods taxable at 5%	Ц.	4	\perp		Ц	_	\bot	\perp	\sqcup	_				
C	Goods taxable at 12.5%	-	\perp	4		Ш	- (¬arı	y to	field	<u>, </u>	l			
D	Goods taxable at 20%		┸			Ш) of			Ш			
E	Total											Щ	-		- Stephalte Ti
(* As	at opening day of the period	l for	wl	hich	the	co	mpc	sit	ion	is b	eir	ıg (opt	ed))
							•								ignature of applicant / authorized signatory
(v).	Verification														
I/W	e									her	eb	v	sol	en	nnly affirm and
decl	are that the information gi	ven i	her	eina	bo'	ve i	s tr	ue	and	l co	rre	ct	to	the	e best of my/our
kno	wledge and belief and nothin	ng ha	as t	een	co	nce	aled	l th	eref	rom	١.				
	nature of Authorised Signato														
Full	Name (first name, middle,	surr	nan	ne)											
Des	ignation														
חי		7—	_	_	-	一					_	,			
Plac	e	<u> </u>	<u> </u>			Ш.			L	L					
Date	•				Т	Т	\neg		1						
	Day Mont	h		-	٠.	Yea	r	_	1						
			1	L					J						

Form WC 02

[See notification under section 16(12)]

(PART-A)

Application Form for withdrawing from Composition by a works contractor in respect of scheme as notified by Government under sub-section (12) of section 16

1. TIN	Ward No.
2. Full Name of Applicant Deal	er
3. Full Address of Dealer	
4. Date with effect from which sought	withdrawal from composition scheme is
5. Turnover in the preceding year	r (Rs.)
6. Reasons for withdrawal from composition scheme	
7. Input tax on goods purchased and lying in stock in Delhi on 1 st day from which withdrawing from composition scheme is sought	Description* Input tax (Rs.) (i) Trading Stock (ii) Raw Material (iii) Packaging Material (iv) Finished Goods Total
(* Please complete Part B)	Name and signature of applicant / authorized signatory
8. Verification I/We and declare that the information knowledge and belief and nothin Signature of Authorised Signator Full Name (first name, middle, Designation	y
Place Date Day Mor	th Year

Form WC 02 ·

[See notification under section 16(12)]

(PART B)

Details of opening stock held on the 1st April of the year from which the composition is withdrawn

(I) D	etails of trading	, stock on which	i credit has been sou	ıght			
S.	Tax Invoice	Tax Invoice	Supplier TIN N	lo.	Purchase	ıI	nput Tax
No.	date	No.	under the Act		Price (Rs		(Rs.)
					1	\neg	
				$\overline{}$		 	
			Total		rry to (8)(i)		
(ii) D	etaile of row mo	starial on which	credit has been sou	1 '	of part-A	18-700	
S.	Tax Invoice	Tax Invoice			T n 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
No.	date	No.	Supplier Registra		Purchase		nput Tax
110.	uale	NO.	No. under the A	ct	Price (Rs	·)	(Rs.)
	 						
	 						
	 						
	<u> </u>	<u> </u>		Car	rry to (8)(ii)		
			Total		of part-A		
/··· ъ				<u> </u>		j	
(III) D	ctants of packag	ing materials or	which credit has be	een so	ught		
S.	Tax Invoice	Tax Invoice	Supplier Registra		Purchase	: Ir	put Tax
No.	date	No.	No. under the A	ct	Price (Rs.	.)	(Rs.)
					ry to (8)(iii)		
i			Total	(of part-A	-	
/! » T				L			A SAN TORONTO CONTRACTOR AND A SAN TORONTO CO
	erification						
I/We	4			h	ereby solen	ınly affi	rm and
decla	re that the info	rmation given	hereinabove is true	and c	correct to the	e best of	my/our
Know	neage and belief	t and nothing ha	s been concealed th	erefro	m.		•
Signa	ture of Authoris	ed Signatory					
		ne, middle, surr	ıame)				
Desig	nation						
Dlass				1			
Place							
Date		7					
Date	- 	ا ا بيا ب					
	Day	Month	Year	- 1			

Form SS 01

[See notification under section 16(12)]

Statement of opening stock held on the first day of the period for which composition is to be opted

I. TIN			
2. Full Name	of Business		
	e of the Stock as on first day of t	he period	·····
	composition scheme is to be opte		
	Stock purchases (as per Table bel	low)	
Table			
S.No.	Description of goods	Quantity	Purchase Value
* The above to	ble can be prepared and attached	with the form as no	41
2,000 00000 90	iole can be prepared and attached	with the form as per	r me requirement
Certification	of Details		
I/We		etific that all the all a	
	ilereby ce	ruly that all the abo	ve-mentioned stock details
are name mond o	correct to the best of my/our kn	owledge. Further ce	ertified that the particulars
indicated abov	e are the correct version of the d	ocuments, which are	in my/our possession and
can be produce	ed before the Value Added Tax D	epartment on demar	nd.
Signature of th		•	
Name:			
Address:			
Date:			
Place:			

Form CC 01 [See notification under section 16(12)] CERTIFICATE BY THE CONTRACTOR (for the tax period from......to......)

is a r that notifie	I(Name of the person signing the declaration)												
w.e.f.	, an ter ed deale r ho	id that i	have a	warded sub-contract	work to M/s	S	who is also a						
		_					•						
	etails of the sub-												
SI.	Particulars of				Balance	Last date for							
No.	works contracts			payments made to sub-		completion of							
1	awarded as sub-	1	contract	contractor during the	sub-contract	sub-contract,							
	contract	contract		period fromto		if any							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4-5)	(7)							
1.	-,			* *	(4-5)								
2.													
3.													
4.													
	TOTAL												
*I for		have deno	cited the	duo tore to the court tore		6.1							
above	uici certify that I	nave depo	isited tile	due tax to the govt. treast	ury in respect	of the amount	mentioned in column 5						
	•	chall deno	cit the du	a toy to the court traceur	i	-641							
above	dici undertake 1	snan ucpo	sii tiic tiu	e tax to the govt, treasur	y in respect	of the amount	mentioned in column 5						
20010	•												
				Nom	o and sismatu								
				ivaii	ie and signati	ire of contracto	or / authorized signatory						
I/We				harahi aa	la								
		iven herei	nahove is	true and correct to the	best of marks	n and declare							
and h	eli ef and nothing	has been a	nauuvu is roncealed	therefrom	best of my/o	ur knowledge							
	ture of Authorise			uicicii oili.									
	lame (first nam					· ·							
	nation	c, maaac, .	sui ruine)	**									
Place							İ						
Date		† 											
Date	- 	┤ 	<u> </u>										
	Day		onth	Year									
Strike	Strike out whichever is not applicable.												

दिल्ली राजपत्र असाधारण के माग चार में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व-1) विमाग दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

सं0फा0 3/13/वित्त (राज-1)/2012-13/57 रग्स V\/ १४०

दिनांक:- 28 2 2013

अधिसूचना

जबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अतः अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3 तत्पश्चात इसे अधिनियम से उल्लेखित किया जाएगा) की धारा 16 की उपधारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों/संविदाकारों की श्रेणी (श्रेणियों) के सामने इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट अन्य साधारण तथा विशेष शर्तें के अनुपालन के अधीन तथा दिनांक 17.3.2006 की अधिसूचना सं0 फा0 3/78/वित्त/टी एण्ड ई/2005—2006/1508—ख के अधिक्रमण में इसके द्वारा धनराशि के लिये या विलम्बित भुगतान के लिये या दिल्ली में मूल्यवान प्रतिफल के लिये विशेष रूप से निर्माण संविदा में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी के लिये निम्नलिखित समझौता योजना की व्यवस्था करते हैं, अर्थात् :—

''तालिका''

श्रेणी	निर्माण कार्य संविदा की प्रकृति	संबंधित सारी प्रतिशत)	
1	2	योजना (क)	योजना (ख)
1	निम्नलिखित श्रेणियों अथवा इससे संबंधित या इसकी प्रासंगिक या सहायक गतिविधियों की निर्माण कार्य संविदाएं के निष्पादन में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी	3	6
	क. सिविल संविदाएं जैसे: (i) किसी अचल संपत्ति का, जिसमें किसी भवन या प्रांगण—आवासीय या वाणिज्यिक सिविल निर्माण कार्य, सुधार, परिवर्तन, मरम्मत तथा रखरखाव, विद्युतीकरण सेनेटरी फिटिंग, फर्श निर्माण, दीवारों का प्लास्टर, फिनिशिंग, पुताई, पेंटिंग, पोलिशिंग, आन्तरिक सज्जा आदि। (ii) जल प्रकार्य तथा मलशोधन प्रकार्य जिसमें शोधन संयंत्र भी शामिल है, चाहे निजी मकान/भवन/परिसर के लिये हो या जनसाधारण के लिये।		
	(iii) शट्टरों, दरवाजों, गेटों, खिड़िकयों, ग्रिलों, फर्नीचर, फिक्चर, फिटिंग आउट का निर्माण तथा लगाना और इस प्रकार की अन्य संविदाएं।		

-			
• `	(iv) किसी संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, ट्रांसफार्मस लिफ्टों, उत्थापक		
,	(इलीवैटर्स) चल सोपान / सीढ़ी, भार तोलने की मशीन, वातानुकूलन		
	(एयर कंडीनिशनयर्स), एयर कूलर, आग बुझाने की प्रणाली, दृश्य		
	श्रव्य प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, कम्प्यूटर प्रणाली, ईपीएबीएक्स,		
	दूरसंचार प्रणाली का प्रापण, लगाना/स्थापित करना, निर्माण		
	प्रतिस्थापन प्रारंभ करना और इस प्रकार की अन्य संविदाएं।		
	(v) सिविल निर्माण का निर्माण और रखरखाव, जैसे;		
	• ग्रीन हाउस तथा इसी प्रकार की अन्य संरचनाएं।		
	• तरणताल।		
	 सेतु, फ्लाई ओवर, बांध, बेरियर्स, मोड़ या इस प्रकार की अन्य गतिविधियां। 		
	1		
	• नहर, बिखराव मार्ग, स्पिलवेज या इस प्रकार की अन्य संविदाएं।		
	 सङ्क काजवेज, उपमार्ग या इसी प्रकार की अन्य संविदाएं। 		
	• रेल, रेल ओवर ब्रिज या इसी प्रकार की अन्य संविदाएं।		
	(vi) सिविल निर्माण कार्य एवं मरम्मत के लिये कोई अन्य संविदा		
	जैसा आयुक्त द्वारा यथानुमोदित हो।		
	(ख) किसी चल संपत्ति की मरम्मत तथा रखरखाव इसमें वाहन,		
	वार्षिक रखरखाव संविदाएं (एएमसी) और इसी प्रकार की अन्य		
	संविदाएं शामिल हैं।		
	(ग) सभी अन्य प्रकार के निर्माण कार्य जिसमें चल माल से संबंधित		
	भी शामिल हैं, जो इस अधिसूचना में अन्यंत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।		
2	जहां निर्माण कार्य पूरा होने से पहले किसी खरीदार को पूर्णतः या	1	3
	अंशतः बिक्री के लिये, जहां भूमि का मूल्य कुल प्रतिफल में शामिल		
	है, वहां जो किसी परिसर / प्रांगण, भवन सिविल निर्माण कार्य गा		
	इसके भाग जिसमें कोई आवासीय युनिट या कोई परिसर या भवन		
	शामिल है, के निर्माण में कार्यरत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी:		
	टीपः वे संविदाएं, जिनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन संपूर्ति प्रमाण		
	पत्र जारी होने के उपरांत प्राप्त पूरा प्रतिफल / पूरी धनराशि शामिल		
<u></u>	नहीं की गई है।		
3	निम्न कार्यों में लगे प्रत्येक पंजीकृत डीलर	2	3
	(i) प्रिटिंग एवं ∕ या बुक–बाइडिंग		
	(ii) टैक्सटाइल प्रोसेसिंग जैसे— डाइडिंग, फैबरीकेशन, टेलरिंग,		
	एम्ब्राइडरी तथा अन्य इसी प्रकार की गतिविधियां।		
	(iii) इलैक्ट्रो प्लेटिंग, इलैक्ट्रो गैल्वनाइजिंग, एनॉडिजिंग, पाउडर		
	कोटिंग तथा अन्य इसी प्रकार की गतिविधियां।		
	(iv) पुराने टायरों की रीट्रेडिंग।		
		;	
		L	

दिनांक 17 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं0 एफ 3 (78)/वित्त (टी एंड ई)/2005-06/1508ख में अधिसूचित समझौता योजना के अंतर्गत समझौता करने वाले डीलरों के पास यह विकल्प होगा कि वे इस योजना को अपना सकें, बशर्ते इस योजना की निबंधन एवं शर्तों के तहत,

बशर्तें कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले समझौता डीलर इस अधिनियम की धारा 16 (1) से 16 (10) द्वारा प्रदत्त ''सामान्य समझौता योजना'' के लिए पात्र नहीं होंगे।

विशिष्ट शर्ते :

योजना कः

इस योजना के अंतर्गत समझौता कर अदा करने वाला पंजीकृत डीलर:

- (i) इस योजना को अपनाते समय उस अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर किसी भी स्थान से गुड्स नहीं खरीदेगा या प्राप्त करेगा; तथा
- (ii) इस योजना को अपनाते समय उस अवधि के दौरान दिल्ली से बाहर किसी भी स्थान पर सामान नहीं बेचेगा या सप्लाई करेगा ।

यद्यपि वह स्वयं के लिए दिल्ली से बाहर से प्लांट एवं मशीनरी एवं उपस्कर खरीद सकता है, जो कि केवल उसके द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग किए जाएंगे।

योजना खः

इस योजना के अंतर्गत समझौता कर अदा करने वाला पंजीकृत डीलर इस योजना के अन्तर्गत संविदा के निष्पादन के लिए अपेक्षित सामान की खरीद का पात्र होंगे जैसे फार्म—सी में घोषणा के विरूद्ध उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र की शक्ति पर इंटर—स्टेट ट्रेड या कॉमर्स की प्रक्रिया या फार्म—एफ के विरूद्ध अन्य राज्यों से स्टॉक के इनवर्ड ट्रांसफर से या अन्य देशों से आयात द्वारा जिसका प्रयोग पूर्णतः केवल दिल्ली में कार्य संविदा के निष्पादन में किया जाएगा;

बशर्तें डीलर के द्वारा दिल्ली के बाहर से आयातित या खरीदी सामग्री / गुड्स का प्रयोग कार्य संविदा के लेन–देन के निष्पादन में किया जाएगा।

सामान्य शर्तौः

- (1) इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता के लिए विकल्प देने वाले समझौता डीलरः
- (i) दिल्ली के अन्दर अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति पंजीकृत नहीं है अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सामान के अलावा खरीद या प्रापण नहीं करेगा, वर्ष के दौरान उसकी कुल खरीद का विस्तार कुल बिकी का 2 प्रतिशत या रूपये 25 लाख रूपये का, इनमें से जो निम्न हों;
- (ii) धारा 9 तथा / या अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत टैक्स केंडिट का दावा करने का पात्र नहीं होगा;
- (iii) अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपने नेट टैक्स का परिकलन नहीं करेगा;
- (iv) अधिनियम के अंतर्गत कर के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं करेगा;
- (v) 'टैक्स इनवायस' जारी करने का पात्र नहीं होगा;
- (vi) अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत अपनी सभी खरीद के लिए सभी मूल टैक्स इनवायस, सभी रिटेल इनवायस तथा उसके द्वारा जारी किये गये सभी रिटेल इनवायस की सभी प्रतियां निरंतर बनाये रखेगा;
- (vii) दिल्ली के अंदर, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य तथा भारत से बाहर से या स्टॉक स्थानांतरण द्वारा की गई सभी खरीद के अलग रिकार्ड का अनुरक्षण करेगा;
- (viii) अधिनियम तथा दिल्ली वैल्यू ए.डेड टैक्स नियम, 2005 (जिसे तत्पश्चात नियम कहा जाएगा) के प्रावधान के अनुसार केवल रिटेल इनवायस जारी करना;

- (ix) यदि कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उसे जारी मूल टी डी एस प्रमाणपत्र के उनके स्वामित्व, रिटर्न दायर करने तिथि पर केवल टी डी एस के दावा का पात्र होगा; तथा
- (x) अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आकलन से पूर्व वह रिफंड का पात्र नहीं होगा ।
- 2. अधिनियम तथा नियमों के सभी प्रावधान अधिसूचना में प्रतिकूल एवं असंगत यथावश्यक परिवर्तन के साथ।
- 3. 'समझौता डीलर' का अर्थ है ठेकेदार, या मामले के अनुसार उप ठेकेदार भी हो सकता है, जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता योजना का विकल्प दिया है।
- 4. 'उप-ठेकेदार' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे मुख्य ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा मामले के अनुसार कार्य संविदा दिया गया है।
- 5. जो डीलर अधिसूचना के अंतर्गत समझौता कर भुगतान का विकल्प देता है और विभिन्न प्रकार के कार्य संविदा को निष्पादित करता है जिन पर इस अधिसूचना के अंतर्गत विभिन्न दरों पर कर लगना चाहिए प्रत्येक ऐसी संविदा पर ठेकेदार लागू दर के अनुसार ही कर अदा करेंगे ।
- 6. इस समझौता योजना के उद्देश्य के लिए "कुल बिकी" का अर्थ है :
 - (i) तालिका में कम संख्या (1) एवं (3) पर संवर्ग के संबंध में मज़दूरी के प्रभार, सर्विस तथा अन्य प्रभारों के साथ ठेका के निष्पादन में सम्मिलित सामान (चाहे वह गुड्स हो या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के स्थानांतरण के लिए ठेका के अंतर्गत डीलर द्वारा प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल प्रतिफल।
 - (ii) तालिका में कम संख्या 2 पर संवर्ग के संबंध में भूमि की कीमत, मज़दूरी की आपूर्ति के लिए तथा सर्विस एवं अन्य प्रभारों के साथ ठेका के निष्पादन में सम्मिलित सामान (चाहे वह गुड्स हो या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के स्थानांतरण के लिए ठेका के अर्न्तगत डीलर द्वारा प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल प्रतिफल।
 - 7. समझौता डीलर के लिए कर अवधि तिमाही होगी अन्यथा डीलर या डीलरों की श्रेणी के लिए आयुक्त द्वारा निर्धारित होगी। यद्यपि देय कर माह के अंत में 21 दिनों के अंदर मासिक आधार पर समझौता डीलर द्वारा दिया जाएगा।
 - 8. यदि किसी मामले में डीलर इस योजना के लिए विकल्प देता है परन्तु किसी भी स्तर पर इसकी निर्धारित शर्तों को मानने में असफल रहता है और इस योजना के विकल्प हेतु अयोग्य पाया जाता है, धारा 3 के अन्तर्गत कर भुगतान के दायित्व सिहत अधिनियम एवं नियमों के सभी प्रावधानों यदि कोई हो तो परिवर्तन के साथ लागू होंगे, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान डीलर ने समझौता योजना के लिए कभी विकल्प न दिया जो जिसमें चूक की गई हो तथा समझौता कर के रूप में ऐसे डीलर द्वारा राशि यदि जमा की गई हो जब्त कर ली जाएगी।
 - 9. समझौता डीलर जिसने इस योजना के अंतर्गत समझौता कर भुगतान का विकल्प दिया है वो ठेका देने वाले / प्रदान करने वाले को आवेदन करेगा जोिक व्यक्तिगत या हिन्दु संयुक्त परिवार नहीं होगा, को ठेके के लिए लागू दर पर स्रोत पर कर कटौती के लिए प्राधिकृत करेगा जिसके लिए डीलर द्वारा समझौता विकल्प दिया गया है, तदनुसार ठेका प्रदान करने वाला टी डी एस की कटौती करेगा। ठेकेदार अपने रिटर्न में टी डी एस के हित का दावा नहीं कर सकता है बशर्त ठेका प्रदान करने वाले ने राशि उचित सरकारी राजस्व में जमा कराई हो तथा टी डी एस प्रमाण पत्र की प्रति निर्धारित फार्म में उचित प्रकार से प्राप्त की जाए और साक्ष्य में चलान के साथ और रिटर्न के साथ जमा संलग्न किया जाए।
 - 10. जब किसी समझौता डीलर ने इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता योजना के लिए विकल्प दिया है वे प्लांट, मशीनरी तथा उपस्कर, स्कैप, सरप्लस, वेस्ट या निष्कीय संपति सहित किसी पूंजीगत संपति की बिकी, स्थानांतरण या निपटान कर सकता है, केन्द्रीय सांविधिक फोर्म के विरूद्ध वो दिल्ली से बाहर ऐसी

बिकी नहीं कर सकता है और अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट दर पर ऐसी बिकी, स्थानांतरण या निपटान पर कर अदा करेगा, चाहे उसने इस योजना के लिए विकल्प न दिया हो।

11. कार्य संविदा के निष्पादन में ठेका प्रदान करने वाले द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति किए गए सामान की कीमत दर्शाने वाली राशि पर समझौता डीलर द्वारा इस अधिसूचना के अंतर्गत कोई कर देय नहीं है, इसमें ऐसे सामान का स्वामित्व ठेके की शर्तों के अनुसार ठेका प्रदान करने वाले के पास रहेगा और ठेका प्रदान करने वाले द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति की गई सामान की कीमत का प्रतिनिधित्व ठेके का हिस्सा नहीं होगा और यह ठेकेदार प्रदत्ता द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति की गई सामान की कीमत पर ठेका प्रदत्ता द्वारा टी डी एस नहीं काटा जाएगा।

योजना को अपनाने के लिए रीतिः

- (1) नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले डीलर फार्म डीवैट-04 में अपने पंजीकरण आवेदन के साथ इस अधिसूचना के साथ फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस योजना के लिए विकल्प दे सकता है।
- (2) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो कार्य संविदा डीलर कर दे रहे हैं वे समझौता विकल्प के लागू वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से तीस दिनों के अंदर इस अधिसूचना में प्रदत्त फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस योजना के लिए विकल्प दे सकता है।

बशर्ते कि इस अधिसूचना की तिथि पर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर देने वाला डीलर इस अधिसूचना की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर इस अधिसूचना के साथ फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस योजना के लए विकल्प दे सकता है:

इसके अलावा जो डीलर दिनांक 17 मार्च 2006 की अधिसूचना सं0 एफ 3(78)/वित्त(टी एण्ड ई)/2005—06/1508ख के अंतर्गत कम्पोजीशन कर का भुगतान कर रहा है वो इस अधिसूचना की प्रभावी तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर इस अधिसूचना के साथ फार्म डब्ल्यू सी 01 में आवेदन कर इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता योजना के लिए विकल्प दे सकता है।

- एक डीलर जो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर अदा कर रहा है और इस योजना के तहत कर अदा का विकल्प देना चाहता है को अविध के प्रथम दिन पर उसके पास उपलब्ध सम्पूर्ण सामान के ओपनिंग स्टॉक पर अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट दर पर कर अदा करना अपेक्षित है, जबसे डीलर इस योजना के अंतर्गत कर के भुगतान का विकल्प देता है। डीलर कम्पोजीशन योजना का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदन के साथ ऐसे स्टॉक का विवरण तथा डीवैट—20 में कर के भुगतान के साक्ष्य में चलान की प्रति के साथ इस अधिसूचना के साथ फार्म एस एस 01 में कर के भुगतान का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।
- 4. इस योजना के अंतर्गत डीलर द्वारा एक बार कर भुगतान का विकल्प देने के बाद नीचे कम सं० (6) पर विनिर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर वह वित्त वर्ष के समापन से पूर्व अपना विकल्प वापस नहीं ले सकता है।
- 5. समझौता डीलर जिसने वर्ष विशेष के लिए इस योजना के अंतर्गत समझौता कर का विकल्प दिया है तो अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के अनुसार वो आने वाले वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत समझौता कर के भुगतान के लिए विकल्प नहीं दे सकता है और जब तक यह लागू है और इसके अलावा वित्त वर्ष के समापन पर तीस दिनों के अंदर फार्म डब्ल्यू सी 02 में इस योजना से निकासी के संबंध में सूचना देगा और योजना से हटने के लिए वर्ष के प्रथम दिवस पर उसके द्वारा ओपनिंग स्टॉक पर अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर का केडिट के दावों का पात्र है।

- समझौता डीलर जिसने इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प दिया था और हाल ही की कर 6. ° अविध के लिए निर्धारित देय तिथि तक लगातार दो कर अविधयों के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो उसे प्रथम चूक से कर अवधि के प्रारंभ तक दोषी माना जाएगाः
 - इस योजना के अंतर्गत कर भुगतान करने योग्य नहीं रहेगा
 - अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर का भुगतान करेगा।

ऐसे डीलर अधिनियम की धारा 20 में निहित शर्तों के अनुसार हाल ही की कर अवधि के लिए रिटर्न दायर करने के लिए निर्धारित देय तिथि की समाप्ति के सात दिनों के अंदर फार्म डब्ल्यू सी 02 में सूचना प्रस्तुत करेगा जिसके लिए चूक की गई है, चूक के संबंध में प्रथम कर अविध के प्रथम दिवस पर दिल्ली में उसके द्वारा रखे गये ओपनिंग स्टॉक पर अधिनियम के अंतर्गत देय कर का "केंडिट दावा" के पात्र

जब समझौता डीलर ने पंजीकृत उप-ठेकेदार को कोई भुगतान किया हो, जिसने कार्य संविदा के 7. निष्पादन के लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत समझौता के लिए चाहे पूर्ण या आंशिक भी विकल्प दिया हो, समझौता डीलर इस अधिसूचना के साथ फार्म सी सी 01 में ऐसे उप-ठेकेदार को प्रमाण पत्र जारी करेगा। अपने रिटर्न के साथ ऐसे प्रमाण-पत्र को संलग्न कर उल्लेखित राशि इस योजना के अंतर्गत अपनी कुल बिकी से कम करने का पात्र है। ऐसे उप ठेकेदार के फार्म डीवैट 17 में कुल बिकी के संगठित हिस्से की राशि नहीं होगा। प्रमाणपत्र द्वारा कवर कुल बिकी के संबंध में ऐसे उप-ठेकेदार को किए गए भुगतान में से टी डी एस काटा नहीं जाएगा।

यह अधिसूचना 01 अप्रैल 2013 से लागू होगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> (रविन्द्र कुमार) उप-सचिव-∨। (वित्त) दिनांक: 28/2/2013

सं0फा0 3/13/वित्त (राज-1)/2012-13/5 रिस्र √1)/80 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट, 1. नई दिल्ली को (हिन्दी अनुवाद सहित अनुलिपि में) एक अतिरिक्त प्रति आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
- प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली। 2.

प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली। 3.

प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, 4.

आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली। 5.

सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई 6. दिल्ली।

नि०सं०, नेता प्रतिपक्ष, २९, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली। 7.

- अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई 8.
- विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली। 9.

पंजीयक, मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली। 10.

मूल्य संवर्धित कर अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली। 11.

व्यापार एवं कर विभाग की वेबसाइट 12.

- गार्ड फाईल। 13.
- 14. वेबसाईट ।

(रविन्द्र कुमार) उप-सचिव--∨। (वित्त)

Page 6 of 15

व्यापार एवं कर विभाग,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र डब्ल्यूसी— 01 (नियम 16 (12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखें) भाग—क

धारा 16 की उपधारा 12 के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथाधिसूचित योजना के संबंध में किसी पात्र कार्य निर्माण संविदाकार द्वारा समझौता/समाधान विकल्प के यि आवेदन पत्र

1. टिन		T										_							
1. 101		4			Щ.			वार्ड	ન0										
2. आवेदक		- 1								 -			—т				·	,	,
व्यापारी का पूरा				+		-					+-				ļ	 	ļ		ļ
नाम	-			+-						-	_				ļ	-	·	<u> </u>	
				Д						<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
3. व्यापारी का	-T-	7		1	Т	$\overline{}$	_			1		Τ	1						,
पूरा पता			+	-		+-				-+		ļ	 -	+					-
		+-	+	-		+	+		\dashv	\dashv		├	 				-	 	
<u> </u>				1								i	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			_		<u> </u>	L
4. तिथि जिस पर समाधान/	T	T		T						Т	1				r	Ţ	1		ī
समझौता योजना लागू करने													Ì						
की मांग की गई है।	ľ												İ					İ	
		- L -					!			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			l.		L	i	l	<u> </u>	L
5. समाधान/	कुल रि	बेक्री व	ग [कुल	बिक्र	का	ΤΕ	7 4	दुल वि	बेक्री	का		<u>क</u>	ल बिव्र	ரி கா	60%		
समझौता कर की 1%				%				3%					رے	35	(1 (4)	71 471	070		
लागू दर**																			
**कृपया उपयुक्त खाने या	खानों ग	में निश	गन लग	गइये	1														
6. पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री		(₹	60)																
	<u> </u>																_		
			(रु	0)			<u> </u>												
 जिस तिथि को योजना चु 	नी		4		7. चालू वर्ष में अनुमानित कुल बिक्री (रू०)														
	``		ĮC	वरण	T*								देय	कर	(रु 0)				
जा रही है उसके प्रथम वि	न		Įc	वरण	T*								देय	कर	(रु0)	-			
को धारित आदि स्टॉक	न		İc	वरण	1*								देय	कर	(∞0)	·			
जा रही है उसके प्रथम वि को धारित आदि स्टॉक देय कर	न ।र				T*								देय	कर	(₹0)	-	-		
को धारित आदि स्टॉक	न र 1.		ा स्टाव		T*				-			<u> </u>	देय	कर	(40)			- 	
को धारित आदि स्टॉक	न ।र 1. 2.	कच्च	ा स्टाव ा माल		T*								देय	कर	(40)				
को धारित आदि स्टॉक	न ।र 1. 2. 3.	कच्च पैकेरि	ा स्टाव ा माल जेंग सा		T*								देय	कर	<u>(400)</u>				
को धारित आदि स्टॉक	न ।र 1. 2. 3.	कच्च	ा स्टाव ा माल जेंग सा		1*		-						देय	कर	(<u>400</u>)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर	न ।र 1. 2. 3.	कच्च पैकेरि	ा स्टाव ा माल जेंग सा		1*		कुल	7			-		देय	कर	(400)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें)	1. 2. 3. 4.	कच्च पैकेरि तैयार	ा स्टाव ा माल जेंग सा				कुल	1					देय	कर	(400)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें) 9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञ	न ।र 1. 2. 3. 4.	कच्च पैकेरि तैयार	ा स्टाव ा माल जेंग सा		1*		कुल	7					देय	कर	(20)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें) 9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञ भुगतान किये गये समझौ	न ।र 1. 2. 3. 4.	कच्च पैकेरि तैयार	ा स्टाव ा माल जेंग सा		T*		कुल	7					देय	कर	(400)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें) 9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञ	न ।र 2. 3. 4.	कच्च पैकेरि तैयार वरण	ा स्टाव ा माल जेंग सा ा माल	मग्री									देय	कर	(400)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें) 9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञ भुगतान किये गये समझौ	न ।र 2. 3. 4. त वि	कच्च पैकेरि तैयार वरण भुगता	ा स्टाव ा माल जेंग सा ा माल न किए	मग्री मग्री	समः	झौता							देय	कर	(€0)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें) 9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञ भुगतान किये गये समझौ	न ।र 2. 3. 4. त वि	कच्च पैकेरि तैयार वरण भुगता	ा स्टाव ा माल जेंग सा ा माल	मग्री मग्री	समः	झौता		7					देय	कर	(40)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें) 9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञ भुगतान किये गये समझौ	न ।र 2. 3. 4. त वि	कच्च पैकेरि तैयार वरण भुगता	ा स्टाव ा माल जेंग सा ा माल न किए	मग्री मग्री	समः	झौता		7					देय	कर	(400)				
को धारित आदि स्टॉक देय कर (कृपया भाग "ख" पूरा करें) 9. उक्त 8 के अनुसार ज्ञ भुगतान किये गये समझौ	न ।र 1. 2. 3. 4. त वि	कच्च पैकेरि तैयार वरण भुगता र की	ा स्टाव ा माल जेंग सा ा माल न किए	मग्री गए (रूप	समः	झौता							देय	Ф ₹	(€0)				

				1 1	 		
3.	. चालान संख्या, यदि	कोई है					
काम जमा गुण का मूल शालान /	/ सबत संलग्न कीजिए	.)					

आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

10. सत्याप मै / हम- विश्वास वे		नुसा		. इ [.] सही	सके है	ं द्वार और	ा र इस	ात्यां में द	नेष्ट हुछ	जपूर भी	र्वक छि	घो पाय	षणा ॥ न	ं हीं	ज्ता गया	हॅ _⁄ है।	/ कर ।	ते है	ई कि	ਂ ਚ	परो	क्त	सू	्चन	Ţi	मेरी	∕ हमा	री र	जानव	गरी	तथा
प्राधिकृत व	व्यवि	त्त वं	उं त	इस्त	ाक्षर													_													
पूरा नाम–														-																	
(प्रथम नाग	म, म	ध्य	नाः	म, र	उपन	πम)−										_															
पदनाम/	स्टेट्	्स-																_									<u> </u>				
		_																								_					
स्थान					L					L	\perp				\perp		\perp				\perp		\perp			\perp					
												·														_					
दिनांक		\perp	\int		L]	L	_		-	\perp	4																		
	f	न		!	मा	<u>ह</u>		7	प्रष				╛																		

व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रपत्र डब्ल्यूसी 01 (धारा 16 (12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए) (भाग—ख)

उस अवधि के प्रथम दिन (अर्थात् दिनांक

को) धारित माल का विवरण, जिसके लिये समझौते की मांग की गई है।

(i) क्रय-विक्रय के भंडार का विवरण

	10:	खर्	रीद	मूल्य	(-	रू0)	-		उचि	वत ब	गजा	र मूल	न्य*	 (रूc)	देर	क	· (板)))			
	ट्रेडिंग स्टाक का दर अनुसार विवरण													`	•							
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से							T						T	T				T			
ख	करयोग्य वस्तुएं 5% से													1	1							_
ग	करयोग्य वस्तपुं 12.5% से										क भ	ाग व	के व	। गर्य	1							
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से							 			क्षेत्र) ਜ	क		1	 				-	_
ड	कुल					1 -		† -			ढुला	\$			\rightarrow				**			
	जेस अवधि के प्रारिम्भक दिन कच्चे माल का विवरण	संद	समझ	ीता '	चुना	जा	रहा	है।)														
	कच्चे माल का दर अनुसार विवरण	खर्र	रीद ग	नूल्य	(লo)	-		उचि	वत ब	ाजा	र मूल	य*	(₹50)	देय	कर	(र ू0)			
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से													Ι		_						_
ख	करयोग्य वस्तुएं 5% से							 		口				辷	1-	\dagger	-	-			+	_
ग	करयोग्य वस्तुएं 12.5% से									I .	े भा त्र 8				-						_	
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से					1	 	 			लाई					-	-		\dashv		-	
ड	कुल		-		-		<u> </u>			1					<u> </u>							
	जेस अवधि के प्रारिम्मक दिन पैकेजिंग सामग्री का विवरण	संस	समझे	ोता :	चुना	जा	रहा	書)				_								- 20 S G C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
	पैकेंजिंग सामग्री का दर अनुसार विवरण	खरी	ोद ग	ा्त्य	(₹	<u>ন</u> o)			उचि	ात ब	ाजार	मूल	य*	(रू0)	देय	कर	(₹0)			
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से				_																	_
ख	करयोग्य वस्तुएं 5% से									क	भाग	के	कार	f								
ग	करयोग्य वस्तुएं 12.5% से										18										1	
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से									3									\dashv	\neg	\dashv	_
ड	कुल													,	├							
(*ি	जस अवधि के प्रारिम्भक दिन	से र	नमझै	ोता ३	वुना	जा	रहा	書)		<u> </u>	1				<u> </u>							

	निर्मित सामग्री का दर अनुसार विवरण	खर	रोद ग	नूल्य	. (र	50)	7	चित	बाजा	र मूट	न्य *	(रू0)	देय	कर	(₹0	0)	
क	करयोग्य वस्तुएं 1% से							T										
ख	करयोग्य वस्तुएं 4% से									-								
ग	करयोग्य वस्तुएं 12.5% से								क क				1					
घ	करयोग्य वस्तुएं 20% से							$\dagger \dagger$	क्षेत्र		v) त	क						
ड	कुल							\top	ढुलाः	₹						-		

(*जिस अवधि के प्रारिम्मक दिन से समझौता चुना जा रहा है)

आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

5. सत्यापन मैं / हम — इसके द्वारा स् सूचना मेरी / हमारी पूरी जानकारी नहीं गया है।	तत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता / करती हूँ / करते हैं कि उपरोक्त तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ———	
पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, उप	नाम)—————
पदनाम	
स्थान	
दिनांक दिन	माह वर्ष

व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र **डब्ल्यू सी 02**(भाग—क)
(धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिएं)

धारा 16 की उपधारा (12) के अन्तर्गत सरकार के सामान द्वारा अधिसूचित योजना के संबंध में निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा समझौता योजना अस्वीकरण संबंधी आवेदन पत्र

1. ਟਿਜ	वार्ड संख्या	
2. आवेदक व्यापारी का पूरा नाम		
3. आवेदक व्यापारी का पूरा पता		
4. समझौता योजना से हटने की ति	तेथि	
5.पूर्ववर्ती वर्ष में कुल बिक्री (रु०)		
6. समझौता योजना अस्वीकरण कर	ने के कारण	
र गाम्बीस भी र ने न		
7. समझौता योजना से हटने पहले	विवरण* इनपट कर (रू०)	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली	(i) ट्रेडिंग स्टाक	
	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर	(i) ट्रेंडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर (*कृपया भाग ख को पूरा	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल कुल	भीर दक्ताभग
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर (*कृपया भाग ख को पूरा 8. सत्यापन	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल कुल करें) आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 3	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर (*कृपया भाग ख को पूरा 8. सत्यापन मैं / हम- ——— इसके द्वारा स	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल कुल करें) आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 3	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर (*कृपया भाग ख को पूरा 8. सत्यापन मैं / हम— —— इसके द्वारा स	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल कुल करें) आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 3	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर (*कृपया भाग ख को पूरा 8. सत्यापन मैं / हम- — इसके द्वारा स मेरी / हमारी जानकारी तथा विश्वास	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल कुल करें) आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 3	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर (*कृपया भाग ख को पूरा 8. सत्यापन मैं / हम- — इसके द्वारा स मेरी / हमारी जानकारी तथा विश्वास प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर — पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, उ	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल कुल करें) आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 3	
दिन खरीदी वस्तुओं तथा दिल्ली में स्टाक में पड़ी वस्तुओं पर इनपुट कर (*कृपया भाग ख को पूरा 8. सत्यापन में /हम- — इसके द्वारा समेरी /हमारी जानकारी तथा विश्वास प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर — पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, र	(i) ट्रेडिंग स्टाक (ii) कच्चा माल (iii) पैकेजिंग सामग्री (iv) तैयार माल कुल करें) आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम 3	

व्यापार एवं कर विमाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रपत्र डब्ल्यू सी 02 (धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिए) (भाग—ख) समझौता योजना छोड़ने के वर्ष की प्रथम अप्रैल को धारित स्टॉक का विवरण

(i). 🕏	डिंग स्टाक	का विवरण जिस पर	क्रेडिट चाहिए		
क्र0सं0		कर इन्वाइस	अधिनियम के अधीन	खरीद मूल्य (स	no) इनपुट कर(रूo)
	इन्वाइस	संख्या	आपूर्तिकर्त्ता की टिन	7	ग्रापुट कर्र(राठ)
	तिथि		संख्या		
			Г		1
				क—मुख्य फार्म (8)(i) में जोडें	
				ণ আঙ	
(ii) क	च्चे मात्र का	विवरण जिस पर क्री	कुल 🗀		\rightarrow
<u>(ग) ५)</u> क्र0सं0					
טואטיג	कर	कर इन्वाइस	अधिनियम के अधीन	खरीद मूल्य (रू	io) इनपुट कर(रूo)
	इन्वाइस	संख्या	आपूर्तिकर्त्ता की टिन		
	तिथि		संख्या		
				ह मुख्य फार्म (8) ii) में जोडें	
			\	া) শ আঙ	
			कुल		
		Ĺ			ightarrow
(iii) t	किजिंग साम	ग्री का विवरण जिस	ाव केटिन कारिक		
क्रा संव	कर	कर इन्वाइस			
	इन्वाइस	प्रेर इत्याइस संख्या	अधिनियम के अधीन	खरीद मूल्य (रू	0) इनपुट कर(रू0)
	तिथि	राज्या	आपूर्तिकर्त्ता की टिन	j	
	MIG		संख्या		
				ख्य फार्म (8) ii) में जोडें	
				11) 11 3119	
			कुल		→
GrA at				1	
(17) रा स्ट्र	त्यापन				
ा∕ एग उपरोत्स		- इसक द्वारा सत्यान	ष्ठापूर्वक घोषणा करता/क	रती हूँ/करते हैं वि	ন
	ि छिपाया नर्ह	ומסרווט אנו שוויט ל	री तथा विश्वास के अनुसा	र सही है और इसर	Ť∤
اا کن	ाणनाया ग र	ा अपा है।			
गधिकत	व्यक्तिके	हस्ताक्षर			
c.					
ूरा नाग	न (प्रथम नाम	, मध्य नाम, उपनाम)-			
	•	, , - ,			
दनाम-					
थान					-
देनांक			' 		
_	दिन	माह तर्ष	⊤ ⁴		

व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रपत्र सीसी 01

(धारा 16(12) के अन्तर्गत अधिसूचना देखिएं)

ठेकेदार द्वारा प्रमाण-पत्र

				(स	—— तक	के कर स	मय के	लिए)			
肖				– (घो	षणा पत्र	पर हस्ता	क्षर करने	वाले	व्यक्ति	का नाम)	-
(स्वामी / साई	भेदार / नि	विशक /	/ प्रबंधक / १	सचिव /	′कर्ता / ट्रस	टी / पद)	मैसर्स—					
का प्रभारी है	। जो वि	देल्ली म	गूल्य संवर्धि	त कर	अधिनियम	, 2004 वं	ञ अन्तर्गत	टिन		·	— वाला एक	पंजीकृत
व्यापारी है।	इसके	द्वारा	प्रमाणित	करता	हूँ कि	मैंने दिनां	क			से लागू		
योजना——			– की क्रम	सं0 -		- की उव	त अधिसू	वना में	वर्णित	दिनांक –		— की
अधिसूचना र	rio ——					के	अनुसार	धारा	16(12)	के अन्तर्ग	त अधिसूचित	समझौता
योजना व	के अ	न्तर्गत	कर	के	भुगतान	को	चुना	含	और	मैने	उप–ठेका	मैसर्ज
~ .							को दिया	है जो	कि एक	गंजीकृत	व्यापारी भी है	जिसकी
टिन सं0			है।									

क्रिक्ट संव	उप-संविदा के रूप में दिये गये निर्माण कार्य ठेके का विवरण	उप-ठेके के नियत की तिथि	उप-संविदा का मूल्य	—————————————————————————————————————	उप-ठेके की शेष राशि	यदि कोई उप-संविदा है तो संपूर्ति की अंतिम तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (4–5)	(7)
1				<u> </u>	(4-5)	
2						
3						
4						
	कु	ল				•

^{*} आगे प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कॉलम 5 में उल्लिखित देय कर की राशि संबंधित कोषागार में जमा कर दी है।

^{*} आगे उक्त कॉलम 5 में वर्णित देय कर की राशि सरकारी कोषागार में जमा करने की प्रतिज्ञा करता / करती हूँ।

सत्यापन
मैं/हम- इसके द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूं/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर ————————————————————————————————————
पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम)——————
पदनाम—————
स्थान
स्थान
दिनांक विष

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।